

न्यायालय-माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय,  
ग्वालियर (म.प्र.) वृत्त इन्दौर के समक्ष

मोहन गिरी पिता नाथू गिरी गोस्वामी

क्रमांक 2432-PBR-16

आयु-वयस्क, धंधा-कृषि,

निवासी- ग्राम कडोडकलॉ, तहसील बदनावर

जिला धार (म.प्र.)

.....आवेदक / प्रार्थी

विरुद्ध

1. श्रीमती कमलाबाई पति कनकमल नाहर

आयु-वयस्क, व्यवसाय-खेती

निवासी-ग्राम नागदा तहसील बदनावर जिला धार

2. कांजी पिता सिद्धू बलाई

आयु-वयस्क, व्यवसाय-खेती

निवासी-ग्राम कटलावदा, तहसील बदनावर

जिला धार (म.प्र.)

.....अनावेदक / प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक / प्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है कि

-

यह निगरानी माननीय अधीनस्थ न्यायालय, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर के प्रकरण क्रमांक 29/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 11.02.2014 एवं माननीय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर (श्री एस.पी.एस.सलूजा साहब) द्वारा प्रकरण क्रमांक 210/अपील/2013-14 मोहन गिरी वि0कमलाबाई व अन्य में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2016 से व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।



अविरत.....2

17-8-16  
अवेदक

R. 2432-PBR/16 - धार

मौरनगिरी / श्रीमति कुमलाबाई

17.8.2016

आवेदन की झोर लें ~~की~~  
सूचना उपरोक्त कोई भी उपस्थित  
नहीं। लीन का पुकार लगाई गई,  
फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः  
प्रमाण अदम्य के ली में निरस्त किया  
जाता है।

17/8/2016  
TJ

अध्यास

[ पीछे देखिये ]